

11/7/18
By mail
Hcl-
11/7

mail
1. C.E. DDU / C.E.M.H.D.D.
2. S.E 944 / S.E.M.H. (Nodal)

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका सं0 47/2013, मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 18.06.2018 को दिये गये आदेशों एवं दिनांक 04.07.2018 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रियान्वयन के उपरान्त देहरादून शहर की सड़कों, नालियों, विद्युत लाईनों, पेयजल लाईनों आदि के पुनर्निर्माण आदि के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0 (नोडल ऐजेंसी) की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2018 को सायं 06:00 बजे, सर्वे चौक स्थित, महिला आई0टी0आई0 परिसर में निर्मित आई0आर0डी0टी0 सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे:-

1. श्री एस0ए0 मुरगेशन, जिलाधिकारी, देहरादून।
2. सुश्री निवेदिता कुकरेती, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
3. श्री आशीष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण।
4. श्री सत्येन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. श्री मुकेश मोहन, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. श्री वी0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता (मु0), पेयजल निगम, देहरादून।
7. श्री नीरज जोशी, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
8. श्री सुरेश चन्द्र पंत, जी0एम0, पेयजल निगम, देहरादून।
9. श्री पूरन चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. श्री शैलेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0, देहरादून।
11. श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक, सूचना विभाग, देहरादून।
12. श्री सुबोध कुमार अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून।
13. श्री मनीष सेमवाल, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अपर मुख्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगर निगम, देहरादून के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं0 47/2013, मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 18.06.2018 को पारित आदेशों तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) सं0- 24083/2018, सुनीता बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 04.07.2018 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रियान्वयन के उपरान्त सड़क मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का कार्य संयुक्त रूप से लो0नि0वि0, ऊर्जा विभाग (विद्युत), पेयजल, जल संस्थान, सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्य को सम्पन्न कराये जाने हेतु विस्तृत आंगणन गठित किये जाने के लिये पूर्व में ही मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। निर्देश दिये गये कि आंगणन गठन का कार्य माह अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाये।

2. सम्बन्धित कार्यों के वित्त पोषण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि विद्युत पोलों, ट्रांसफार्मरों की शिफ्टिंग का कार्य यू0पी0सी0एल0 द्वारा अपने संसाधनों से, सड़क

11

चौड़ीकरण का कार्य लो०नि०वि० द्वारा राज्य योजना में तथा पेयजल लाईनों को शिफ्ट करने का कार्य भी पेयजल विभाग द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एम०डी०डी०ए० को स्मार्ट सिटी योजना में प्राप्त धनराशि का भी योजनानुसार सौन्दर्यीकरण आदि में उपयोग किया जायेगा।

3. अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रथम चरण में रिस्पना पुल (स्वामी दयानन्द सरस्वती सेतु) से धरमपुर एवं सर्वे चौक से डील (रायपुर) मार्गों को पुनर्निर्माण हेतु चयनित करते हुये निर्देश दिये गये कि उक्त मार्गों को 15 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

4. बैठक में यह भी सुझाव प्राप्त हुये कि सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाने के पश्चात् प्राप्त अतिरिक्त भूमि पर डक्ट डालते हुये सम्बन्धित यूजर ऐजेंसियों को अपनी लाईने यथा पेयजल, ओ०एफ०सी० आदि के लिये उपयोगी किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव द्वारा उक्त बिन्दु पर सम्बन्धितों को फिजीबिल्टी स्टडी कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

5. अपर मुख्य सचिव द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह से कांवड मेला प्रारम्भ होगा। उक्त मेले में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अतिरिक्त पुलिस एवं मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। अतः मा० न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार अवैध अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किये जाने एवं सील किये जाने की कार्यवाही दिनांक 27.07.2018 तक पूर्ण कर ली जाये।

6. अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि मा० न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जनहित याचिका में दिनांक 18.06.2018 को दिये गये आदेशों के क्रियान्वयन के उपरान्त मा० न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुरूप अद्यावधिक प्रस्तरवार आख्या (आदेशों में उल्लिखित प्रस्तरों के अनुसार की गयी कार्यवाही) की प्रमाणित प्रति एवं अतिक्रमण से पूर्व एवं अतिक्रमण हटाने के पश्चात् के फोटोग्राफ दिनांक 15.07.2018 तक प्रत्येक दशा में आई०आर०डी०टी० स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि मा० न्यायालय के आदेशानुसार अद्यावधिक अन्तरिम शपथ-पत्र मा० न्यायालय में योजित किया जा सके।

7. अन्त में अपर मुख्य सचिव/नोडल ऐजेंसी द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत अतिक्रमण के चिन्हान्कन की कार्यवाही में तेजी लायी जाये एवं प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से सम्पन्न किया जाये।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव।

